न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 04/23 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2023/55

उनवान

1. खेलन्ती पत्नि मुकेश
2. प्रेम पत्नि रामकेश
3. बादामी पत्नि गब्बू

} जाति मीना निवासी निठार तहसील, भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजकुमारी पत्नि महेश
2. रामपति पत्नि मक्खन
3. हरभेजी पत्नि सदरी

} जाति मीना निवासी निठार तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर दि0 17.04.2023 मि.नं. 75/22 उनवानी राजकुमारी बनाम खेलन्ती।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा उपंस्थित।

निर्णय दिनांक–07.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.23 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का प्रस्तत किया है कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के उभयपक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये आये

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिन फसल एवं डौल मेड को लेकर झगडा हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव कर अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्तावो में दिनांक में कॉट–छॉट हैं तथा पटवारी हल्का व गिरदावर के हस्ताक्षर दिनांक 21.03.24 को होना अंकित है एवं तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.03.23 को हस्ताक्षर किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार मौका पर नहीं गये। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु पक्षकारो को भी कोई सूचना नहीं दी गयी है। विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित है कि वादी व प्रतिवादी मौके पर उपस्थित नहीं आये। विभाजन प्रस्ताव तलव करने हेतु आदेशिका में भी कोई वर्णन नहीं है। दिनांक 21.03.23 को ही मौके पर गये एवं दिनांक 21.03.23 को ही पक्षकारो को नोटिस जारी किये जाना अंकित है, तो एक ही दिन में तामील किस प्रकार करायी गयी, स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। लगान में भी कॉट–छॉट की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2019 पेज 751, 2019 पेज 123, 2018 पेज 676, आरआरटी पेज 77 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर, अन्तिम डिक्री की अपील प्रस्तुत की गयी है। यदि अपीलाण्ट को प्राथमिक डिक्री से आपत्ति थी तो उन्हें प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अपीलाण्ट ने सारी बहस तकनीकी बिन्दुओ पर की गयी है। यह नहीं बताया कि विभाजन प्रस्तावो से वह किस प्रकार व्यथित हैं अथवा विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार गलत हैं। तहसीलदार ने पक्षकारो को विभाजन प्रस्ताव तैयारी हेतु विधिवत नोटिस तामील कराये हैं। तहसीलदार स्वयं मौके पर गये हैं। जरूरी नहीं है कि उसी दिन हस्ताक्षर करें। कार्यालय में जाकर भी विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर कर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सकते हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सभी नियमो की पालना की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1994 पेज 693, 1993 पेज 405, 1975 पेज 523, सीपीसी धारा 97 पेज 43, 44 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि विभाजन प्रस्तावो में तहसीलदार पक्षकारो को मौके पर उपस्थित होने हेतु नोटिस क्रंमाक 1460 दिनांक 21.03.23 से जारी करना एवं उसी दिन मौके पर स्वयं को हमराह भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का पहुॅचना अंकित करते हैं। परन्तु पत्रावली पर पक्षकारो को मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई तामील शुदा सम्मन/नोटिस उपलब्ध नहीं है। जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि हो सकें। विभाजन प्रस्तावो में वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति अंकित है। नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो की उपस्थिति में ही बनाये जाने का प्रावधान है। हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि विभाजन प्रस्तावो में दिनांको में कॉट–छॉट की गयी है। उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया, विभाजन प्रस्तावो की संदिग्धता को दर्शाता है। चूंकि विभाजन प्रस्तावो वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत तैयार हुये हैं। लिहाजा उन्हें विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने का भी अवसर नहीं मिला। अतः न्याय की दृष्टि से हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2023 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, तहसीलदार स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर